(187)

संख्या: 380/XXIV-3/11/02(17)/2011,

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
देहरादून, उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 **देहरादून, दिनांकः 16 मार्च, 2011**

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एस0सी0ई0आर0टी0 में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/88585/5(क)/01(01) 2010–11/दिनॉकः 26 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एस0सी0ई0 आर0टी0 में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से र 22,83,000 (र बाइस लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि को नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के क्रियान्यवन हेतु नही किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत नियमानुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगाः–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी भी ऐसी मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(4) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(5) व्यय करते समय वित्तीय संग्रहण खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम),वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पॉच भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

क्रमशः 2

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, –आयोजनागत–004–अनुसंधान एवं प्रशिक्षण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0101–एस0सी0ई0आर0टी0 की स्थापना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0– 15 प्रपत्रों में उल्लेखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग कालम 1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 1155(P)/XXVII(3)10-11, दिनांकः 16 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्याः 380(1)/XXIV-3/11/02(17)/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव–मा0 मंत्री विद्यालयी शिक्षा।
4– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव–सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– अपर शिक्षा निदेशक,एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर–टिहरी गढ़वाल।
11– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
12– वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड सचिवालय।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– अनुभाग अधिकारी, शिक्षा अनुभाग– 2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव